



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47199-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 571/2026

डॉ. सुकराम पाल सिंह तोमर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राहुल पांडे, रंग नाथ पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मीनाक्षी सिंह, ए.सी.एस.सी.

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, कथित रूप से लोकहित में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थियों को प्रत्यर्थी संख्या 6 और 7 की शैक्षिक उपाधियों की जाँच/सत्यापन करने और उन्हें प्राथमिक विद्यालय, लोहड़डा, ब्लॉक बड़ौत, जिला बागपत की प्रधानाध्यापिका के पद और दादू बलराम संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालीखेड़ा, बागपत में शिक्षक के पद से हटाने तथा उनके द्वारा लोक निधियों से आहरित संपूर्ण वेतन वसूल करने हेतु विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने के लिए दायर की गई है।

2. यह अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 और 7 ने जाली डिग्रियों के आधार पर सेवा प्राप्त की और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए परिवादों के बावजूद प्रत्यर्थियों द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

3. कथित रूप से लोकहित में दायर याचिका के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता आदर्श वैदिक विद्यालय इंटर कॉलेज, नंगला सिनौली, बागपत के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और उन्होंने दावा किया है कि याचिका लोकहित में दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह प्रतिपादित किया गया है कि सेवा मामलों से संबंधित याचिकाएं, जो कथित रूप से लोकहित में दायर की जाती हैं, अनुरक्षणीय नहीं हैं।

5. इस न्यायालय ने **रुबी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य: पी.आई.एल. संख्या 746/2020**, दिनांक 24.8.2020 को विनिश्चित, में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा: -

"24. उपरोक्त के दृष्टिगत, जब सेवा मामलों में जनहित याचिका (रिट याचिका) अनुरक्षणीय नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णयों की श्रृंखला में बार-बार इसे दोहराया गया है, तो वर्तमान जनहित याचिका (रिट याचिका) विधि में अनुरक्षणीय नहीं है और तदनुसार खारिज की जाती है। लागू का कोई आदेश नहीं।"

6. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरि बंश लाल बनाम सहोदर प्रसाद महतो एवं अन्य: 2010 (9) एससीसी 655** में यह प्रतिपादित किया है कि अधिकार पृच्छा की रिट के माध्यम से के अतिरिक्त, सेवा मामले में जनहित याचिका अनुरक्षणीय नहीं है।

7. इस मामले को देखते हुए, हमें वर्तमान याचिका, जो लोकहित की प्रकृति में दायर की गई है, को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। अतः यह **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

9 मार्च, 2026

एनडी